web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, मंगलवार 31 मार्च 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 180

महत्वपूर्ण एवं खास

राजस्थान विकास के पथ पर निरंतर बढ़े

» पीएम ने राज्य दिवस की दी बधाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के लोगों को राज्य दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, राजस्थान के लोग अपने साहस, शौर्य और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरी कामना है कि राज्य निरंतर प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े।

बंगाल में 44 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम

» महाराष्ट्र में 12 नए पॉजिटिव केस

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1036 हो गई। जबकि संक्रमण से मौत का आंकड़ा 30 हो गया है। देश में सबसे ज्यादा बुरा हाल महाराष्ट्र का है। सोमवार को यहां कोरोना के 12 नए केस मिले हैं। इनमें से 5 पुणे में, 3 मुंबई के, 2 नागपुर से, एक कोल्हापुर से और एक केस नासिक में मिला है। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 215 हो गई है। उधर, बंगाल के कालिमपोंग में 44 वर्षीय महिला की कोरोना के कारण मौत हो गई है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। आज उसने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस से पश्चिम बंगाल में ये दूसरी मौत है। इसके पहले नॉर्थ 24 परगना में एक शख्स की मौत हो चुकी है।

आरएमएल के डॉक्टर और नर्सें कोरोना की चपेट में

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश भर में लगातार कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। इस बीच दिल्ली में चिकित्सा सेवा में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के भी कोरोना वायरस की चपेट में आने की खबर सामने आई है। खबरों के मुताबिक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सों की एक पूरी टीम को घर में चरंटाइन रहने का निर्देश दिया गया है। रविवार देर शाम एक नर्स में कोरोना जैसे लक्षण उभरने के बाद अस्पताल प्रशासन ने एहतियातन यह फैसला किया। जिस टीम को अलग किया गया है उसमें डॉक्टर, नर्स सहित 14 कर्मी शामिल हैं। बताया गया है कि यह टीम शुरू से ही वार्ड नंबर-5 में कोरोना मरीजों के उपचार में लगी थी। अस्पताल की प्रवक्ता स्मृति तिवारी ने बताया कि सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने किसी के भी कोरोना संक्रमित होने से इनकार किया।

राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषप्रद होने के साथ आसमान साफ

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 यानी संतोषजनक श्रेणी में दर्ज किया गया, और असमान साफ है। सरकारी मौसम अनुमान प्रणाली सिस्टम ऑफ एयर चालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग (सफर) के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक सोमवार को संतोषजनक रिकार्ड किया गया, जो मंगलवार को अच्छी श्रेणी में हो जाएगा। सफर ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में बारिश में कम उत्सर्जन के साथ वायु गुणवत्ता सूचकांक ने बेहतरी में योगदान दिया है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि दिनभर तेज हवाओं के साथ आसमान साफ रहेगा।

भारत में 49 दिनों का लॉकडाउन जरूरी: विशेषज्ञ

» कोरोना का कहर

नई दिल्ली,30 मार्च (आरएनएस)। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भारतीय मूल के रिसर्चर्स ने अपनी एक रिसर्च में कहा की भारत में 49 दिनों के लिए पूरी तरह से देशव्यापी लॉकडाउन या दो महीनों में समय-समय पर छूट के साथ लगातार लॉकडाउन होना जरूरी है। इस रिसर्च में दावा किया गया है कि इस लॉकडाउन इसे भारत में कोरोना को दोबारा उभरने से रोकने के लिए जरूरी बताया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का देशव्यापी लॉकडाउन घोषित किया है।

लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने लिये कई राहत भरे फैसले

» कोरोना पीड़ितों की सेवा करने वालों को मिलेगा विशेष भत्ता » रेडी-टू-ईट फूड का घर जाकर वितरण

नईदिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी से निपटने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कई कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं जिसमें प्रमुख रुप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब परिवारों को अप्रैल एवं मई माह 2020 का चावल एकमुश्त निःशुल्क वितरण।

अवकाश अवधि में स्कूली बच्चों को मध्यान्ह भोजन हेतु 40 दिनों का सूखा दाल और चावल पालकों को स्कूल से प्रदाय। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती-शिशुवती माताओं और किशोरी बालिकाओं को उनके घरों में जाकर रेडी-टू-ईट फूड का वितरण। सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लायसेंस आदि नवीनीकरण की समय-सीमा में एक माह की वृद्धि। नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया। राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी में वृद्धि। वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें जो एक अप्रैल से लागू होती है, उसे एक मई किया गया। राज्य में अल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाईजर (हैण्ड रब सॉल्यूशन) के औद्योगिक निर्माण के

लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों को श्रमिकों की छंटनी नहीं करने और कोरोना पीड़ित या बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश के निर्देश। निम्नदाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग-बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक, 'हाफ रेट पर बिजली योजना'' के तहत् एक मुश्त दो माह का लाभ दिए जाने का निर्णय। पीडीएस वस्तुएं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई अन्य सेवाएं आवश्यक सेवा घोषित। आमजन को स्वास्थ्य और अन्य दैनिक जरूरतों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए राजधानी रायपुर सहित सभी 28 जिला मुख्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित। पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों की सहूलियत के लिए राज्य और जिला स्तर स्तर पर हेल्पलाईन नम्बर स्थापित। श्रम विभाग के सचिव राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त। जिलों में आवश्कतानुसार चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थाई संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौपा गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ायी दी गई है। सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों में एस्मा लागू। खाद्य उत्पादों से संबंधित सभी फैक्ट्रियों के नियमित संचालन की अनुमति। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता, परिवहन, भण्डारण एवं उनके सुचारू वितरण के लिए खाद्य एवं परिवहन विभाग का राज्य स्तरीय संयुक्त कंट्रोल रूम सातों दिन 24 घंटे संचालित। राज्य की हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद लोगों के लिए दो क्विंटल चावल की व्यवस्था।

राजस्थान में कोरोना के संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 60

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान में कोरोनावायरस संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर साठ पहुंच गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईरान से लाए गए भारतीय नागरिकों में आज सुबह एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ईरान से एयरलिफ्ट कर जोधपुर लाये गए लद्दाख के रहने वाले 41 साल के इस व्यक्ति की कोरोना जांच सकारात्मक पाई गई हैं। इसे सेना के वेलनेस सेंटर से शहर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह ईरान से गत 25 मार्च को जोधपुर लाए गए 277 भारतीय नागरिकों के दल में शामिल था। हालांकि संक्रमित की बुजुर्ग मां की जांच रिपोर्ट नकारात्मक बताई जा रही है। ईरान से अब तक 1036 भारतीयों को लाया गया है। इनमें से 552 को जोधपुर जबकि 484 को जैसलमेर में सेना द्वारा तैयार वेलनेस सेंटर में रखा गया है।

» लॉकडाउन पर प्रवासी मजदूरों के पलायन से जुड़ी याचिका

केंद्र की पहल में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में सरकार ने कोर्ट में बताया कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के रूप में जल्द ही इसकी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, इस मामले पर अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव से कहा कि हम सब कुछ से निपट सकते हैं लेकिन केंद्र जो पहले से ही कर रहा है, उससे नहीं। सीजेआई ने कहा कि पहले हम सरकार के हलफनामे को देखना चाहते हैं। जिसे उन्हें दाखिल करना है फिर हम इसपर बुधवार को सुनवाई करेंगे।

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। हालांकि, इन सबके बीच भारत में एक नए तरह का संकट पैदा कर दिया है। यह संकट राजधानी सहित देश के दूसरे इलाकों से प्रवासी कामगारों के सामूहिक पलायन से पैदा हुआ है। ऐसे में देशभर में प्रवासी मजदूरों के पलायन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

अब 15 दिन के अंतर पर ही हो सकेगी गैस सिलिंडर की बुकिंग

» कोरोना वायरस संकट पर आईओसी बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए लगातार अपील की जा रही है। अब सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने भी कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों से 'पैनिक बुकिंग' नहीं कराने की अपील की है।

इंडियन ऑयल के अध्यक्ष संजीव सिंह ने आश्वस्त किया कि देश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पूरे देश में सुचारू है. पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस को लेकर कोई किल्लत या कोई दिक्कत नहीं है।

विशेषकर रसोई गैस के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें. एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है और चलती रहेगी. ग्राहकों से निवेदन है कि पैनिक बुकिंग न करें. इससे सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है. हमने अब यह व्यवस्था शुरू की है कि कम से कम 15 दिन के अंतर से पहले ग्राहक रिफिल बुकिंग नहीं करा सकेंगे। कंपनी का कहना है कि अब 15 दिन के अंतर पर ही रसोई गैस की बुकिंग कराई जा सकेगी।

रसोई गैस की मांग बढ़ी

लॉकडाउन के बाद से देश में पेट्रोल-डीजल की खपत तो कम हुई है, लेकिन रसोई गैस की मांग बढ़ गई है. अब तक ग्राहकों के बुकिंग पर कोई समय सीमा लागू नहीं थी. आम उपभोक्ताओं को एक साल में पहले 12 घरेलू रसोई गैस सिलिंडर पर सब्सिडी मिलती है, जबकि उसके बाद सब्सिडी नहीं मिलती। पिता के निधन के बावजूद आपूर्ति में जुटे रहे इंडियन ऑयल के चेयरमैन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के दिन ही सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल के चेयरमैन के पिता का निधन हो गया था, लेकिन संजीव ने उसके बावजूद 24 घंटे में निर्बाध तेल आपूर्ति के काम में जुट गए।

जल्द बढ़ सकती है प्रीपेड प्लान की वैधता

» ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को लिखा पत्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के प्रकोप को ध्यान में रखकर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से प्रीपेड प्लान की वैधता को बढ़ाने की मांग की है। ट्राई का कहना है कि प्रीपेड प्लान की वैधता बढ़ने से लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। साथ ही उपभोक्ता इस मुश्किल परिस्थिति में एक-दूसरे के साथ जुड़े रह सकेंगे।

ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को लिखा पत्र

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ट्राई ने देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कंपनियों से कहा गया है कि सभी यूजर्स के प्रीपेड प्लान की वैधता को बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा ट्राई ने सभी कंपनियों से जानकारी मांगी है कि लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को बिना रुकावट के सेवा देने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं।

देश के कई हिस्सों में मालवाहक विमानों के जरिए की जा रही है मेडिकल वस्तुओं की आपूर्ति

नईदिल्ली (आरएनएस)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय कोविड-19 से बचाव और उसकी जांच से जुड़े आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और संबंधित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मालवाहक विमानों की उड़ानें संचालित कर रहा है।

मंत्रालय इसके लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। विभिन्न राज्यों की ओर से तत्काल जरूरत की मांग के आधार पर, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी आवश्यक सामग्रियों के लिए आपूर्ति एजेंसियों के साथ भी समन्वय कर रहे हैं ताकि ऐसी सामग्रियों को उनके गंतव्यों तक आगे पहुँचाया जा सके।

एयर इंडिया और एलायंस एयर की उड़ानें पूरे देश में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए संचालित की जा रही हैं। इन उड़ानों के जरिए माल परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अधिकृत एजेंसियां अपने क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करती हैं और सामान की समय पर आपूर्ति और उसकी रसीद प्राप्त करने के लिए समन्वय स्थापित करती हैं।

देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में आपूर्ति के लिए , एलायंस एयर की एक उड़ान गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और अगरतला के लिए आवश्यक चिकित्सा सामग्रियां लेकर 29 मार्च, 2020 को दिल्ली से कोलकाता गई। देश के उत्तरी क्षेत्र में आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के एक मालवाहक विमान के जरिए आईसीएमआर के वीटीएम किट और अन्य सामग्रियां दिल्ली से चंडीगढ़ और लेह भेजी गई।

केंद्र सरकार की लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने की कोई योजना नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन को लागू किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ सकती है। जिस पर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कहना है कि 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि को बढ़ाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मीडिया में आ रही उन खबरों को निराधार करार दिया है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 14 अप्रैल से आगे विस्तार देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का इस लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाने की कोई योजना या विचार नहीं है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि मीडिया में आ रही 21 दिन के बंद की अवधि खत्म होने के बाद इसे और बढ़ाने की खबरें और कुछ अफवाहों के बीच इस बात से इंकार किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों के भारी पलायन को देखते हुए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने को कहा है।

दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन पर डीएम-डीसीपी होंगे जिम्मेदार

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लॉकडाउन का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सोमवार को निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने डीएम और डीसीपी को निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान बिना ई-पास या वाजिब कारण के घूमते पाए गए लोगों को प्रशासन द्वारा स्थापित जिला आश्रय स्थलों में भेजा जाए। उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्देश जारी किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिलाधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों ने हिस्सा लिया।

बैजल और केजरीवाल ने की उपायों पर चर्चा

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यन से बैठक के बाद ट्वीट किया कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिये कि राष्ट्रीय राजधानी में कहीं भीड़भाड़ जमा न हो।

» दिल्ली हाईकोर्ट की कमेटी का निर्देश

कोरोना वायरस के कारण जेलों में घटाई जाए कैदियों की संख्या

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने राजधानी दिल्ली की जेलों में कैदियों की संख्या कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश प्राधिकारियों को दिया है ताकि कोरोना वायरस महामारी वहां अपने पांव नहीं पसार सके। इस महामारी से अब तक 29 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और 1071 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित इस समिति ने जेलों में कैदियों के बीच दूरी बनाए रखने का लक्ष्य हासिल करने और नए कैदियों, जो विदेशी हैं को अलग रखने के विभिन्न उपायों पर विचार

किया। इसी तरह फ्लू या बुखार जैसे लक्षण वाले कैदियों को भी अलग रखने और जेल में नियमित रूप से उनकी जांच सुनिश्चित करने तथा पैरोल की पात्रता रखने वाले कैदियों की रिहाई के बारे में भी विचार किया गया। न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने उन कैदियों को विशेष छूट देकर रिहा करने पर भी विचार किया जिनकी सजा पूरी होने में छह महीने या इससे कम का समय बचा है। समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल महानिदेशालय, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सुप्रीम कोर्ट के 23 मार्च के आदेश के मद्देनजर इस समिति की बैठक हुई। बैठक में यह तय किया गया कि कारागार नियमों में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत करीब 1,500 कैदियों को आठ सप्ताह की पैरोल देने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। बैठक की कार्रवाई के विवरण के अनुसार इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया कि जेल में कैदियों की संख्या कम करने के लिए ऐसे विचाराधीन कैदियों की श्रेणी में दी जाए जिन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

हालांकि, समिति ने यह प्रस्ताव भी पारित किया कि मादक पदार्थों से संबंधित ऐसे मामले जिनमें बहुत अधिक मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं, बच्चों के यौन शोषण, बलात्कार और तेजाब हमले, विदेशी नागरिकों, भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों के साथ ही आतंक, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या गैरकानूनी गतिविधियां कानून के तहत बंद विचाराधीन कैदियों के मामलों में अंतरिम जमानत के लिए विचार नहीं किया जाएगा।